रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6, 1976/फाल्गुन 16, 1897
No. 110] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6, 1976/PHALGUNA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March 1976

S.O. 174(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas my predecessor-in-office had on 28th March, 1974, made an Order, suspending for a period of six months the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), (hereinafter referred to as "the Act") in relation to the Union territory of Pondicherry, and making certain incidental and consequential provisions which appeared to him to be necessary and expedient for administering the Union territory of Pondicherry in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period;

And whereas I had on 26th September, 1974, 7th March, 1975 and 25th September, 1975, made further Orders continuing the suspension of operation of the provisions of the Act, suspended under the aforesaid Order, for a further period of six months on each occasion from the date on which the first mentioned Order would otherwise have expired;

And whereas I have received a report from the Administrator of the Union territory of Pondicherry and, after considering the report and other information received by me, I am satisfied that the situation in the Union territory continues to be such that the

administration of that territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act and that for the proper administration of the Union territory it is necessary that the operation of the provisions of the Act suspended by my predecessor-in-office under the first mentioned Order should continue to remain suspended, and the incidental and consequential provisions made therein should continue to operate, beyond the period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and all other powers enabling me in that behalf, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, hereby direct,—

(a) that the operation of the provisions of the Act, suspended by virtue of clause (a) of the first mentioned Order, shall continue to remain suspended, and the incidental and consequential provisions made by virtue of clause (b) of the aforesaid Order shall continue to be operative, for a further period of one year with effect from the 28th March, 1976; and

(b) that for the words "two years" occurring in clause (a) of the first mentioned Order, as subsequently amended, the words "three years" shall be substituted.

NEW DELHI;

The 5th March, 1976.

FAKHRUDDIN ALI AHMED,
President.

[No. U-11012/1/76-UTL]

K. R. PRABHU, Addl. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1976

का० आ० 174 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

मेरे पूर्व में पूर्ववर्ति ने 28 मार्च, 1974 को एक आदेश किया था जिसमें पाण्डीचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के कतिपय उपबंधों का प्रवर्तन, छह मास की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था और जिसमें पूर्वोक्त अवधि के दौरान, संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुसरण में पाण्डीचेरी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए ऐसे कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध बनाए गए थे, जो उन्हें आवश्यक और समीचीन प्रतीत हुए ;

और मैंने 26 सितम्बर, 1974, 7 मार्च, 1975 और 25 सितम्बर, 1975 को, उस तारीख से जिसको प्रथम वर्णित आदेश अन्यथा समाप्त हो गया होता, प्रत्येक अवसर पर छह मास की और अवधि के लिए पूर्वोक्त आदेश के अधीन निलंबित, अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन का निलंबन जारी रखने के लिए और आदेश किये;

और मुझे पाण्डीचेरी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मुझे प्राप्त रिपोर्ट तथा अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि संघ राज्यक्षेत्र में ऐसी स्थिति जारी है कि उस राज्यक्षेत्र का प्रशासन, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि संघ राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए, यह आवश्यक है कि प्रथम वर्णित आदेश के अधीन मेरे पद में पूर्ववर्ती द्वारा निलंबित अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन निलंबित ही बना रहना चाहिए और उसमें बनाए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध दो वर्ष की अवधि के परे प्रवर्तित रहने चाहिए ।

अतः, अब, मैं, फखरुद्दीन अली अहमद, भारत का राष्ट्रपति, अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देता हूं :—

(क) कि अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन, जिसे प्रथम वर्णित आदेश के खण्ड (क) के आधार पर निलंबित किया गया था, निलंबित ही रहेगा और पूर्वोक्त आदेश की मद (ख) के आधार पर बनाए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध 28 मार्च, 1976 से एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रवर्तित रहेंगे ; और (ख) यह कि यथा तत्पश्चात् संशोधित प्रथम वर्णित आदेश के खण्ड (क) में आए हुए "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

फखरुद्दीन अली अहमद,

राष्ट्रपति ।

नई दिल्ली,

5 मार्च, 1976.

[सं० यू–11012/1/76–यू० डी० एल०]

के० आर० प्रभू, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976